संख्या-36/2020/770/छप्पन-2020-43/2015

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 08 जून, 2020

विषय : राजकीय Augusta A109S, VT-UPL Helicopter के इंजिनों में लगे फ्यूल नोजेल्स के Repair/Cleaning कराये जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-60/CADUP/ENG(PUR)/A-4/2019 दिनांक 21 मई, 2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि शासनादेश संख्या -111/2019/2039/छप्पन-2019-43/2015 दिनांक 19 नवम्बर, 2019 तथा शुद्धि पत्र संख्या-117/2019/2263/छप्पन-2019-43/2015 दिनांक 16 दिसम्बर, 2019 द्वारा राजकीय Augusta A 109S,VT-UPL Helicopter के इंजिनों में लगे फ्यूल नोजेल्स के Repair / Cleaning M/s Pratt & whitney component solutions, U.S.A से कराये जाने हेतु फर्म से प्राप्त बजटरी कोटेशन के आधार पर यू0एस0 डालर 10296.00 जो भारतीय मुद्रा में रूपये 74 प्रति यू0एस0 डालर के विनियम दर से रूपये 7,61,904/- मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, किन्तु यू0एस0 डालर एवं भारतीय मुद्रा की विनिमय दर में हुए परिवर्तन के फलस्वरूप इंजन निर्माता कम्पनी M/s Pratt & whitney को यू0एस0 डालर 10296.00 का भुगतान रूपये 80/- प्रति USD की विनिमय दर से किये जाने हेतु रूपये 7,61,904/- के स्थान पर रूपये 8,23,680/- (रूपये आठ लाख तेईस हजार छ: सौ अस्सी) मात्र की आवश्यकता है। अत: श्री राज्यपाल इंजिन के निर्माता M/s. Pratt & Whitney Component Solutions U.S.A. से राजकीय Augusta A109S, VT-UPL Helicopter के Fuel Nozzle Hybrid, Part No. 305642-02, Qty.10 and Fuel Nozzle Airblast, Part No. 3056565-03, Qty. 14 इस प्रकार कुल 24 फ्यूल नोजेल्स के Repair/Cleaning कराये जाने हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 19 नवम्बर, 2019 एवं दिनांक 16 दिसम्बर, 2019 के क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में निर्माता कम्पनी M/s Pratt & whitney को यू0एस0 डालर 10296.00 का भुगतान रूपये 80/- प्रति USD की विनिमय दर से किये जाने हेतु रूपये 8,23,680/- (रूपये आठ लाख तेईस हजार छ: सौ अस्सी मात्र ) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रश्नगत धनराशि के व्यय एवं फर्म को अग्रिम भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 19 नवम्बर, 2019 एवं दिनांक 16 दिसम्बर, 2019 में उल्लिखित अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या- 557/ई-7-2020 दिनांक 05 जून, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

**पृ0सं0-36/2020/770(1)/छप्पन-2020-तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार ई0एस0।।। आडिट भवन, टी0सी0-ई0वी-।, विभूतिखण्ड गोमती नगर, लखनऊ-10
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/ वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।